दिनांक 25.10.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ.एवं.सुदर.भिलाई

15 किलो फफूंद लगे खोवा एवं मिष्ठान को बेचने की थी तैयारी , उड़नदस्ता की टीम ने मौके पर पहुंचकरकियाजप्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने निगम क्षेत्र अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान , बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। उड़नदस्ता की टीम को सूचना प्राप्त होने पर दुबे डेयरी एंड रेस्टोरेंट मे पहुंचकर जब निरीक्षण किया गया तो फफूंद लगा हुआ खोवा एवं मिष्ठान जो कि लगभग 15 किलो के आसपास है पाए गए जिसे जप्त कर विनिस्टीकरण किया गया साथ ही जुनवानी रोड कोहका मे स्थित प्रतिष्ठान दुबे डेयरी पर कार्यवाही करते 10 हजार रुपये अर्थदंड वसूल किया गया इसी तरह से राधे डेयरी एण्ड स्वीट्स 18 नं. रोड केम्प-01 के पास 10 दुषित खोवा पाया गया जिस पर कार्यवाही की गई। अन्य जगहों पर बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया गया तथा ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस के चलाये जा रहे थे उससे दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

जनसम्पर्क अधिकारी